

मास्टर परिपत्र

आवास यो नाओं के लिए वित्त

(30 जून 2006 तक अद्यतन)

(मास्टर परिपत्र भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in
पर भी उपलब्ध है फ़िसे वहाँ से डाउनलोड किया गा सकता है)



भारतीय रिजर्व बैंक
श-री बैंक विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

मास्टर परिपत्र

आवास यो नाओं के लिए वित्त

विषय वस्तु

1.	सामान्य	1
2.	उधारकर्ताओं की पात्र श्रेणी	1
3.	पात्र आवास यो नाएं	1
4.	आवास ऋण की शर्तें	2
4.1.1.	अधिकतम ऋण राशि और मार्फन	2
4.1.2.	ब्या T	2
4.1.3.	टंडात्मक ब्या T लगाना	2
4.1.4.	माननत	2
4.1.5.	ऋण की अवधि	3
4.1.6.	प्रगामी किस्तें	3
5.	अतिरिक्त / अनुपूरक वित्त	3
6.	हाउसिंग बोर्डों को ऋण	4
7.	आवास वित्त पर सकल सीमाएं	4
8.	भवन- निर्माताओं / ठेकेदारों को अग्रिम	4
9.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण	5
9.1	बाँड़ों में निवेश	5
10	सावधानियां	5

11.	स्थावर संपदा (रियल इस्टेट) को दिए गए ऋण पर गोखिम भार	5
12.	राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता	6
	परिशिष्ट	7

मास्टर परिपत्र

आवास यो ज्ञाओं के लिए वित्त

1. सामान्य

- 1.1. आवास वित्त प्रदान करने में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका की समय-समय पर समीक्षा की गई है। अपने विस्तृत नेटवर्क के लिए वित्तीय प्रणाली में इन बैंकों का एक अहम स्थान है तथा ये गृहनिर्माण क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा, विशिष्ट श्रेणियों को निर्धारित सीमा तक प्रदान किये गये वित्त को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण माना जाता है, इसीलिए बैंकिंग प्रणाली के सामने उपस्थित सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने वाले प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की तीव्र आवश्यकता महसूस की गई।
- 1.2. अतः प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक आवास यो ज्ञाओं को, विशेषतः कम गोर वर्ग के समुदाय को, वित्त-प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, इसलिए इन बैंकों को नीति दिए गए दिशा-निर्देशों के अधीन अपने स्रोतों से आवास यो ज्ञाओं को विशिष्ट निर्धारित सीमा तक आवास ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गयी है।
- 1.3. इस संबंध में, जिन बड़े बैंकों के पास अतिरिक्त संसाधन हैं, उन्हें आवास प्रयोजनों के लिए बड़ी मात्रा में ऋण देने गाहिए क्यों कि इससे उनकी अतिरिक्त निधियों को निवेश करने के लाभकारी अवसर प्राप्त होंगे।
- 1.4. हाँ, हाउसिंग सोसायटियों को वित्त प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रत्येक मामले में अब भी पंगीयक की विशेष अनुमति लेनी आवश्यक है, यह सु गाव दिया जाता है कि ऐसे बैंकों को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई शर्तों के अधीन हाउसिंग सोसायटियों को वित्त प्रदान करने के लिए सामान्य अनुमति प्राप्त कर लेनी गाहिए।

2. उधारकर्ताओं की पात्र श्रेणियां

- 2.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक निम्नलिखित श्रेणियों के उधारकर्ताओं को ऋण दे सकते हैं;
- (i) व्यक्ति और सहकारी/ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां।
 - (ii) आर्थिक दृष्टि से कम गोर वर्ग, निम्न आय ग्रुप और मध्यस्तरीय आय ग्रुप के लिए आवास परियोजनाएं / योजनाएं लानेवाले हाउसिंग बोर्ड
 - (iii) मकानों /फ्लैटों के मालिकों को मकानों/फ्लैटों के बड़े मरम्मत कार्य सहित उनका विस्तार और दर्ता-उन्नयन के लिए।

3. पात्र हाउसिंग योजनाएं -

3.1 उक्त श्रेणी के उधारकर्ता निम्न प्रकार की आवास योजनाओं के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने के पात्र होंगे;

- (i) व्यक्तियों द्वारा मकान / फ्लैट बनाने / खरीदने के लिए
- (ii) व्यक्तियों द्वारा मकानों / फ्लैटों में मरम्मत, फेरबदल, परिवर्धन करने के लिए
- (iii) अनुसूचित गातियों / नए गातियों के लिए आवास और होटल निर्माण योजनाएं
- (iv) जुगी- गोपड़ियां हटाओ योजनाओं के अंतर्गत
- (क) सरकारी गारंटी पर जुगी- गोपड़ीवासियों को सीधे, या
- (ख) इस प्रयोजन के लिए स्थापित सांविधिक बोर्डों के मार्फत अप्रत्यक्ष रूप से।
- (v) शैक्षणिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्थाएं / केंद्र योजनाओं के लिए स्थापित सांविधिक बोर्डों के मार्फत अप्रत्यक्ष रूप से।
- (vi) शॉपिंग सेंटरों, मार्केटों और ऐसे ही अन्य केंद्र योजनाओं के लिए स्थापित सांविधिक बोर्डों के मार्फत अप्रत्यक्ष रूप से।

4. आवास ऋण की शर्तें

4.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा पात्र हाउसिंग योजनाओं के उधारकर्ताओं की पात्र श्रेणियों को प्रदान किया गया वित्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा;

4.1.1. अधिकतम ऋण राशि और मार्गिन

- (i) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने वाणियक निर्णयों और अन्य विवेकशील व्यावसायिक पहलुओं पर विचार करते हुए, अपने निदेशक मंडल की अनुमति से पात्र उधारकर्ताओं की पहलान करने, मार्गिन तय करने तथा उनकी पुनर्भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए आवास ऋण प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- (ii) बैंक किसी निवासी इकाई के प्रत्येक लाभार्थी को 15.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक ऋण देसकते हैं।
- (iii) वैयक्तिक उधारकर्ताओं के मामलों में ऋण की अधिकतम सीमा बैंक की पूरी रीगत निधियों के 15 प्रतिशत से और ग्रुप उधारकर्ताओं के मामलों में पूरी रीगत निधियों के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए पूरी रीगत निधियों में टियर I पूरी रीता टियर II पूरी रीता शामिल होगी।

4.1.2. ब्याज

बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से, ऋण की मात्रा, रोखिम की मात्रा और अन्य संबंधित पहलुओं के मद्देन तर ब्याज निश्चित करें।

4.1.3. दंडात्मक ब्याज लगाना

बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से, पुनर्भुगतान करने में टूक, वित्तीय विवरण प्रस्तुत न करने आदि ऐसे कारणों, हाँ लागू हों, की वाह से लगाए जानेवाले दंडात्मक ब्याज की दरें तय करने के लिए पारदर्शी नीति बनाएं। यह नीति

पारदर्शिता के सुस्वीकृत सिद्धांतों, सुस्पष्टता, ऋण की उकौती के लिए प्रोत्साहन और ग्रहकों की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर बनाई जानी गहिए।

4.1.4. अमानत

- (i) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक निम्नलिखित रूप में आवास ऋण की अमानत प्राप्त कर सकते हैं,
 - (क) संपत्ति को बंधक रखकर, या
 - (ख) हाँ उपलब्ध हो, सरकारी गारंटी लेकर, या
 - (ग) दोनों लेकर
- (ii) हाँ यह संभव न हो, वहाँ बैंक ग्रीवन बीमा पॉलिसियों, सरकारी व जनपत्रों, शेयरों / डिबें आरों, सोने के आभूषणों और ऐसी अन्य प्रतिभूतियों पर नहें बैंक उत्तित समर्थों, के पर्याप्त मूल्यों के रूप में अमानत स्वीकार कर सकते हैं।

4.1.5. ऋण की अवधि

- (i) आवास ऋण, अधिस्थगन अवधि या उकौती अवधि में छूट सहित 15 वर्ष की अवधि में उकाया जाए।
- (ii) अधिस्थगन अवधि या उकौती अवधि में छूट -
 - (क) लाभार्थी के विकल्पानुसार, या
 - (ख) निर्माण कार्य पूरा होने तक या ऋण की पहली किस्त वितरित करने की तारीख से 18 माह, इनमें से जो भी पहले हो, स्वीकृत की जा सकती है।

4.1.6. प्रगामी किस्तें

- (i) किस्तें उधारकर्ता की उकौती क्षमता को ध्यान में रखकर वास्तविक आधार पर तय की जानी गहिए। इस प्रयोग के लिए, आवास ऋण की उकौती की राशि (मूलधन और ब्या । सहित) उधारकर्ता की आय के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी जाहिए।
- (ii) आवास वित्त को वहन करने योग्य बनाने के लिए, यदि आनेवाले वर्षों में उधारकर्ता की आय में यथोत्तित वृद्धि होने के आसार हों तो, बैंक प्रगामी आधार पर किस्तें तय कर सकते हैं। प्रगामी आधार का मतलब है आरंभ के वर्षों में उकौती की न्यूनतम किस्तें तय करना और आगामी वर्षों में आय की प्रत्याशित वृद्धि से तालमेल रखते हुए आगामी वर्षों की किस्तों में वृद्धि करना।

5. अतिरिक्त /अनुपूरक वित्त

- 5.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक उधारकर्ता की उकौती क्षमता को देखते हुए पहले से वित्तपोषित मकानों / फ्लैटों में फेरबदल करने, परिवर्धन करने, मरम्मत करने के लिए अतिरिक्त वित्त प्रदान कर सकते हैं।
- 5.2 उन व्यक्तियों के मामले में जिन्होंने मकान बनाने / लेने के लिए अन्य स्रोतों से निधियाँ जुटाई हैं, और वे अनुपूरक वित्तीय सहायता लेना जाते हैं, वहाँ बैंक अन्य वित्तपोषकों के पक्ष में बंधक रखी संपत्ति पर पैरीपैसू या दूसरा बंधक प्रभार प्राप्त करने के बाद और / या ऐसे उधारकर्ताओं की सकल उकौती क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद किसी अमानत पर जिसे वे उत्तित समर्थों ऋण प्रदान कर सकते हैं।

- 5.3 यथोंति आमानत प्राप्त करने के बाद मरम्मत, परिवर्धन, फेरबदल करने आदि के लिए मकान/फ्लैट के मालिक को, बैंक इस बात पर वि गार न करते हुए कि मकान/फ्लैट मालिक के कबूली में है या किराए पर, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक और अर्धशहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2.00 लाख रुपये तक के अस्तरत आधारित ऋण दे सकते हैं। वे मरम्मत, परिवर्धन की मात्रा, उसमें लगनेवाली, सामग्री, मदूरी और अन्य प्रभारों को ध्यान में रखते हुए मरम्मत, परिवर्धन आदि की कुल लागत के बारे में और यदि आवश्यक हो तो, उस बारे में योग्य इंजीनियर/आर्किटेक्ट से प्रमाणपत्र प्राप्त करके स्वतः आश्वस्त हो लें।
- 5.4 अतिरिक्त /अनुपूरक वित्त के संबंध में मार्फति नि, ब्या 1 दर, जुकौती अवधि आदि की शर्तें वही होंगी जो मकान बनाने / लेने के लिए दिए गए वाले ऋणों के लिए होती हैं।

6. हाउसिंग बोर्डों को ऋण

- 6.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने राय के अंदर हाउसिंग बोर्डों को ऋण दे सकते हैं। ऐसे बोर्डों को दिए गए वाले ऋण पर लगाई गानेवाली ब्या 1 दर बैंक अपने विवेकानुसार तय कर सकते हैं।
- 6.2 एक स्वरूप आवास वित्त प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से, ऐसे ऋण प्रदान करते समय बैंक केवल लाभार्थियों से वसूली के मामले में हाउसिंग बोर्डों के पिछले कार्यनिष्ठादन को ही न देखें बल्कि उन्हें यह निर्धारण भी लागाना गहिर कि बोर्ड लाभार्थियों से तत्पर और नियमित रूप से वसूली सुनिश्चित करेगा।

7. आवास वित्त की सकल सीमा

- 7.1 कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक आवास ऋण और कारखानों के शेड आदि बनाने के लिए अन्य पूँजीगत ऋण देने के लिए अपने कुल आम संसाधनों के 15% तक का इस्तेमाल कर सकता है।
- 7.2 तथापि, उक्त सीमा को इस प्रयोग के लिए वित्त प्रदान करने के लिए उत्तरवित्तों से प्राप्त निधि और राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त की मात्रा की तुलना में बढ़ाया जा सकता है।

8. भवन-निर्माताओं / ठेकेदारों को अग्रिम

- 8.1 भवन-निर्माताओं / ठेकेदारों को सामान्यतः बड़ी मात्रा में निधियों की अस्तरत होती है। वे भावी क्रेताओं से या उन व्यक्तियों से जिनकी ओर से निर्माण कार्य किया जाना है, अग्रिम भुगतान प्राप्त करते हैं। इसलिए उन्हें साधारणतः बैंक वित्त की आवश्यकता नहीं होती है।
- 8.2 तथापि, वहां ठेकेदार स्वयं अपने स्रोतों से (बाबू उन्होंने उस प्रयोग के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त न किया हो) काफी छोटी मात्रा में भवन निर्माण कर रहे हैं, वहां बैंक निर्माण-सामग्री को बंधक रख कर उन्हें वित्तीय सहायता दे सकते हैं, बशर्ते ऐसे ऋण व अग्रिम बैंक की उप-विधियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर गारी अनुदेशों / निदेशों के अनुरूप हों।
- 8.3 ऐसे प्रत्येक मामले में बैंकों को संबंधित ऋण आवेदनों की उत्तित संवीक्षा करनी गहिर और स्वयं, अन्य बातों के साथ साथ, ऋण लेने के उद्देश्य की वास्तविकता, अपेक्षित वित्तीय सहायता आदि से आश्वस्त हो लेना गहिर और आवधिक स्टॉक विवरण मंगाना, आवधिक निरीक्षण करना, आहरण शक्ति को पूर्णतः धारित स्टॉक के आधार पर निश्चित करना, कम से कम 40 से 50 प्रतिशत मार्फति बनाए रखना आदि ऐसे नेमी सुरक्षा उपायों का पालन करना गहिर। वे यह भी सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्री को आहरण शक्ति तय करने के प्रयोग के लिए स्टॉक विवरण में शामिल नहीं किया जाता है।

8.4 उपर्युक्त के अलावा, आहं- आहं उपलब्ध हो, बैंक संपादिक आमनत प्राप्त करें। निर्माण कार्य में ऐसे - ऐसे प्रगति होगी, ठेकेदार भुगतान प्राप्त करते रहेगे और ऐसे भुगतानों को उधार खातों की शेष राशि को कम करने में लगाया जाना चाहिए। यदि संभव हो, तो बैंक उधारकर्ता और उसके ग्राहकों के साथ विशेषतः उन मामलों में जब ऐसे अग्रिमों के लिए कोई संपादिक आमनत उपलब्ध न हो, त्रिपक्षीय करार कर सकते हैं।

8.5 ऐसे वित्तपोषण को आवास वित्त नहीं सम जाना चाहिए।

9. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण

निम्नलिखित आवास वित्त ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम माना जाएगा;

- (i) व्यक्तियों द्वारा मकान बनाने के लिए लिये गए 15 लाख रुपये तक के ऋण
- (ii) व्यक्तियों द्वारा मरम्मत करने, परिवर्धन करने, या फेरबदल करने के लिए ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में लिए गए 1.00 लाख रुपये तक के ऋण और शहरी इलाकों में 2.00 लाख रुपये तक के ऋण
- (iii) निम्नलिखित के लिए किसी भी सरकारी ए और रोपड़ियों को दी गई वित्तीय सहायता;
- (क) प्रति हाउसिंग इकाई के लिए 5 लाख रुपये की उत्तम सीमा के अधीन पूर्णतः अनुसूचित जाति और जन जाति के लाभार्थ मकान बनाने के लिए, या
- (ख) जुगी- रोपड़ियों को हटाने और वहां के निवासियों के पुनर्वास के लिए
- (iv) प्रति हाउसिंग इकाई के लिए 5 लाख रुपये की उत्तम सीमा के अधीन मकान बनाने या जुगी- रोपड़ियों को हटाने और उनके निवासियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वित्त के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित किसी गैर- सरकारी ए और रोपड़ियों को दी गई वित्तीय सहायता।

9.1 बांडों में निवेश

ऊपर बताए गए आवास वित्त के अलावा, आवास इकाई को दिए ऋण की मात्रा पर विवार किए बिना, पूर्णतः आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक / हुड़को द्वारा जारी बांडों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा किये गये निवेश को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करेन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

9.2 इसके अलावा, पूर्णतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लाभार्थ मकान बनाने के प्रयोग के लिए 2 लाख रुपये प्रति इकाई की उत्तम सीमा के आधीन, किसी भी सरकारी ए और रोपड़ियों को दी गई वित्तीय सहायता और जुगी- रोपड़ियों को हटाने और वहां के निवासियों के पुनर्वास के लिए दिए गए सभी अग्रिमों को कम गैर वर्ग के अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

10 सावधानियां

10.1 भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में ऐसे कई मामले आए हैं जहां बैंकों ने आवास ऋण प्राप्त करने के लिए मूल दस्तावें के कई सेट बनाकर और उन्हें भिन्न- भिन्न बैंकों में प्रस्तुत करके एक ही संपत्ति की आमनत पर बहु- बैंक वित्त प्राप्त करके बैंकों को धोखा दिया है। इसी प्रकार कतिपय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्म गारियों के गाली वेतन प्रमाणपत्र तैयार किए गए ताकि बैंक की आवश्यकताओं को पूरा कर यादा से यादा ऋण प्राप्त किया जा सके। अनुमानित लागत भी अधिक बताई गई ताकि उधारकर्ता की ओर से दी जानेवाली मार्ग नि राशि की अदायगी से बचा जा सके।

10.2 इस प्रकार की धोखाधड़ियां बैंक अधिकारियों की ओर से उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावें की असलीयत का अपने वकीलों / सॉलिसीटरों से सत्यापन करवाने के लिए निर्धारित क्रियाविधि का पालन करने में बरती गई लीलाई के कारण हो सकती हैं। अतः बैंकों को विभिन्न दस्तावें प्राप्त करते समय आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए।

11. स्थावर संपदा (रियल इस्टेट) को दिए गए ऋणों पर गोखिम भार

11.1 बैंकों द्वारा व्यक्तियों को उनकी आवासीय गृह संपत्ति को बंधक रखकर आमानत पर दिए गए आवास ऋणों पर गोखिम भार पूँगी पर्याप्तता के प्रयोग के लिए 75% है।

11.2 बैंकों द्वारा भवन निर्माताओं तथा ठेकेदारों को वाणिज्यक स्थावर संपदा के लिए दिए गए ऋणों पर गोखिम भार वर्तमान में 150% है। वाणिज्यक स्थावर संपदा को दिए गए ऋणों में इस प्रयोग के लिए वाणिज्यक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, फुटकर दुकान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदारी वाणिज्यक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम, होटल आदि) को दिए गए निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण शामिल होंगे।

11.3 को-ऑपरेटिव/ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों तथा हाउसिंग बोर्ड और अन्य किसी प्रयोग के लिए दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर गोखिम भार 100% है।

12. राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता

भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एनबीसी), 2005 नामक एक विस्तृत भवन निर्माण संहिता तैयार की है जिसमें देश-भर में भवन निर्माण की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। उक्त संहिता के अंतर्गत सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित भवन निर्माण के विकास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं मसलन प्रशासनिक विनियमन, विकास नियंत्रण संबंदी नियम तथा भवन की सामान्य आवश्यकताओं, अग्निरोधक सुरक्षा के उपायों, भवन निर्माण की सामग्रियों, भवन संरचना के खाका तथा निर्माण (सुरक्षा संहिता) से संबंधित निर्धारणों और निर्माण एवं नलसा जैकी सेवाओं को शामिल किया गया है। भवनों की सुरक्षा खास तौर से प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता का पालन उत्तीर्ण है। बैंकों के निदेशक मंडल अपनी ऋण नीति में इस पहलू को अंगीकार करने पर विराग करें। राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता से संबंधित अधिक जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट (www.bis.org.in) से हासिल की जा सकती है।

मास्टर परिपत्र - आवास यो नाओं के लिए वित्त

क. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.58/09.09.09 .01/05-06	19.06.2006	ऋणदात्री संस्थाओं के लिए आवश्यक राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) संबंधी विनिर्देशों का पालन
2.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.55/09.11 .600/05-06	01.06.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - वाणियक स्थावर संपदा (रियल इस्टेट) को दिए गए ऋणों पर गोखिम भार
3.	शबैवि.पीसीबी.परि..सं.8/09.11. 600/05-06	09.08.2005	पूँजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड-आवास वित्त/वाणियक स्थावर संपदा को दिए गए ऋणों पर गोखिम भार
4.	शबैवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.29/09.09.01/20 04-05	14.12.2004	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण-आवास ऋण-शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण की उत्तम सीमा में वृद्धि
5.	शबैवि.पीसीबी.सं.30/09.22.01/ 2003-04	16.01.2004	आवास ऋण के लिए संपत्ति के गाली स्वत्वाधिकार प्रलेख / गाली वेतन प्रमाणपत्र आम करके धोखाधड़ी करना
6.	शबैवि.बीपीडी.सं.45/09.09.01/ 2002-03	14.5.2003	2003-04 के लिए ऋण नीति - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम
7.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.सं.31/09. 09.01/2002-03	30.12.2003	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम
8.	शबैवि.सं.प्लान.परि.आरसीएस. 2/09.22.01/98-99	15.3.1999	आवास यो नाओं के लिए वित्त- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
9.	शबैवि.सं.प्लान.आरओ.49/09. 22.01/ 1997-98	17.6.1998	आवास यो नाओं के लिए वित्त- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
10.	शबैवि.सं.प्लान.परि(आरसीएस) 9/09.22.01/95-96	1.9.1995	आवास यो नाओं के लिए वित्त- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
11.	शबैवि.सं.प्लान/परि(आरसीएस) 8/09.22.01/94-95	11.01.1995	आवास यो नाओं के लिए वित्त- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
12.	शबैवि.सं.पीएण्डओ.10/यूबी- 31/91-92	26.3.1992	आवास यो नाओं के लिए वित्त- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
13.	शबैवि.सं.पीएण्डओ.108/यूबी. 31/88-89	5.4.1989	आवास यो नाओं के लिए वित्त- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
14.	शबैवि.डीसी.1/आर.1-87/88	3.7.1987	अग्रिमों की अधिकतम सीमा
15.	शबैवि.(डीसी)2/आर.1-87/88	3.7.1987	अग्रिमों की अधिकतम सीमा
16.	डीबीओडी.यूबीडी.पीएण्डओ. 161/यूबी.31/83-84	2.9.1983	आवास यो नाओं के लिए शहरी सहकारी बैंकों द्वारा वित्त
17.	डीबीओडी.यूबीडी.पीएण्डओ. 229/यूबी.31/82-83	5.11.1982	आवास यो नाओं के लिए सहकारी बैंकों द्वारा वित्तपोषण
18.	डीबीओडी.यूबीडी.पीएण्डओ. 230/यूबी.31/82-83	5.11.1982	समा । के आर्थिक रूप से कम गोर वर्गों के लिए आवास यो ना के लिए सहकारी बैंकों द्वारा वित्तपोषण

19.	एसीडी.प्लान.(एस डोड)401/ पीआर.338/81-82	17.08.1981	आवास यो ज्ञानों के लिए सहकारी बैंकों द्वारा वित्तपोषण
20.	एसीडी.प्लान.1502/पीआर. 338/76-77	11.10.1976	समा । के अर्थिक रूप से कम गोर वर्गों के लिए आवास यो ज्ञाना के लिए सहकारी बैंकों द्वारा वित्तपोषण
21.	एसीडी.प्लान.(781)पीआर.338/ 76-77	24.8.1976	समा । के अर्थिक रूप से कम गोर वर्गों के लिए आवास यो ज्ञाना के लिए सहकारी बैंकों द्वारा वित्तपोषण

ख. अन्य परिपत्रों की सूची जिनसे आवास वित्त से संबंधित अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में शामिल किया गया है :

सं.	परिपत्र संख्या	तारीख	विषय
1.	शबैवि.डीएस.परि.सं.44/13.05.00/2004-05	15.04.2005	अग्रिमों की उत्तम की सीमा-ऋण की सीमा
2.	शबैवि.सं.डीएस.परि.31/13.05.00/1999-2000	01.04.2000	अग्रिमों की अधिकतम सीमा-ऋण सीमा
3.	शबैवि.प्लान.पीसीबी.7/09.09.01/1999-2000	22.12.1999	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार-आवास वित्त
4.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.24/09.09.01/ 1997-98	1.12.1997	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार
5.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.39/13.05.00/ 1995-96	16.01.1996	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की अधिकतम सीमा
6.	शबैवि.सं.प्लान.(पीसीबी)6/09.09.01/ 1994-95	22.07.1994	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार
7.	शबैवि.सं.प्लान.68/09.09.01/1993- !994	09.05.1994	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार
8.	शबैवि.डीसी.536/आर.1.84-85	16.10.1984	अग्रिमों की अधिकतम सीमा